प्रोफॉर्मा ख

क्षतिपूर्तिबंध-पत्र

[लापता कर्मचारी की दशा में]

[नियम 23 देखिए]

इस बंधपत्र द्वारा सबको ज्ञात हो कि हम (क).....(ख).....,दिवंगत (ग).....,जो .....मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में ..... पद धारण कर रहे थे, तारीख ..... से लापता हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'लापता सरकारी कर्मचारी' कहा गया है), की/के.....(विधवा/पुत्र/ भाई, इत्यादि) हैं, और..... के निवासी हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'बाध्यताधारी' कहा गया है) और (घ)..... जो .....की पुत्र/पत्नी/पुत्री हैं और .....के निवासी हैं और ..... जो .....की पुत्र/पत्नी/पुत्री हैं और..... के निवासी हैं, जो बाध्यताधारी के तथा उनकी ओर से प्रतिभू हैं (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रतिभू' कहा गया है), भारत के राष्ट्रपति के प्रति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सरकार" कहा गया है) मांगे जाने पर और बिना किसी आपत्ति के सरकार को वास्तव में देय .....रूपए (.....रूपए मात्र) वेतन, छुट्टी नकदीकरण, सेवानिवृत्ति/मृत्यु उपदान के संदाय और मासिक कुटुंब पेंशन की प्रत्येक रकम के समतुल्य धनराशि का.....% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर से भुगतान करने के लिए वचनबद्ध हैं और इसके पूर्ण और सही भुगतान करने के लिए हम, अपने को, अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और कानूनी प्रतिनिधियों और उत्तराधिकारियों को इस बंधपत्र द्वारा आबद्ध करते हैं।

आज तारीख..... मास .....दो हजार ..... को हस्ताक्षरित

और (ग) ..... अपने लापता होने के समय सरकारी सेवा में था और सरकार से प्रतिमास.....रूपए (.....रुपए मात्र) वेतन प्राप्त कर रहा था।

और उक्त (ग)..... तारीख ..... मास..... 20..... को लापता हुए तथा उनके लापता होने के समय उन्हें (i) बकाया वेतन (ii) छुट्टी नकदीकरण (iii) मृत्यु/सेवानिवृत्ति उपदान देय था।

और बाध्यताधारी.....रूपए (.....रुपए मात्र) कुटुंब पेंशन और उस पर स्वीकार्य महंगाई राहत पाने का हकदार है।

और बाध्यताधारी ने उपर्युक्त राशि का हकदार होने का दावा किया है और अनुचित विलंब और कठिनाइयों से बचने के लिए इसका भुगतान करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है।

और सरकार .....रूपए (.....रुपए मात्र) की राशि और .....रूपए (.....रुपए मात्र) की दर से मासिक कुटुंब पेंशन और उस पर राहत का भुगतान बाध्यताधारी को करने के लिए सहमत है किन्तु उपरोक्त लापता सरकारी कर्मचारी को देय रकम के लिए सभी प्रकार के दावों के विरुद्ध सरकार को सुरक्षित रखने हेतु बाध्यताधारी और प्रतिभुओं को उपर्युक्त राशि हेतु एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र का निष्पादन करना होगा।

और जबकि बाध्यताधारी और उसके अनुरोध पर प्रतिभू, इसमें आगे निहित शर्तों और तरीके से बंधपत्र निष्पादित करने के लिए सहमत हो गए हैं।

अब इस बंधपत्र की शर्त यह है कि बाध्यताधारी को भुगतान कर दिए जाने के बाद, उक्त राशि के संबंध में सरकार के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या लापता कर्मचारी के अपने प्रकट होने की दशा में ..... रूपए(.....रुपए मात्र) और सरकार द्वारा संदत्त मासिक पेंशन और राहत की उक्तराशि का दावा किए जाने की स्थिति में, बाध्यताधारी और/या प्रतिभू..... रूपए(.....रुपए मात्र) और सरकार द्वारा संदत्त मासिक कुटुंब पेंशन और उस पर राहत.....% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज की दर से सरकार को लौटा देंगे और अन्यथा क्षतिपूर्ति करेंगे तथा सरकार को उक्त राशि और उस दावे के परिणामस्वरूप हुए सभी खर्चों के

संबंध में सभी दायित्वों से क्षतिपूर्ति करेंगे और सरकार को कोई हानि नहीं होने देंगे और तब उपर्युक्त लिखित बंधपत्र या बाध्यता शून्य और प्रभावहीन होगी किंतु अन्यथा यह पूर्णतया प्रवृत्त, प्रभावशील और वैध रहेगी।

और यह बंधपत्र इस का भी साक्षी हैं कि प्रतिभू/प्रतिभूओं की जानकारी या सहमति के या उसके बिना या कोई अन्य तरीके या प्रतिभुओं से संबन्धित किसी कानून के अधीन कोई भी तरीका या बात, जो इस उपबंध के लिए प्रतिभू/प्रतिभुओं के इस प्रकार के दायित्व पर प्रभावी हो, बाध्यताधारी द्वारा बाध्यताओं या शर्तों के संबंध में निष्पादन या शर्तों के निष्पादन या पालन किए जाने में सरकार द्वारा समय दिए जाने या निष्पादन में देरी या चूक के कारण यहां उल्लिखित प्रतिभुओं के दायित्व खंडित या निष्पादित नहीं होंगे, न ही सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह यहां उल्लिखित देय राशि के लिए प्रतिभू/प्रतिभुओं या उनमें किसी एक पर मुकदमा चलाने से पूर्व, बाध्यताधारी पर मुकदमा चलाए, और इस बंधपत्र पर यदि कोई स्टांप प्रभार लागू है, तो सरकार उसके वहन की सहमति व्यक्त करती है।

इसके साक्ष्यस्वरूप बाध्यताधारी और प्रतिभू ने उपर्युक्त तारीख, मास और वर्ष को यहां अपने हस्ताक्षर किए हैं।

उपर्युक्त 'बाध्यताधारी' द्वारा निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षरित

1. .....

2. .....

उपर्युक्त प्रतिभू/प्रतिभुओं द्वारा हस्ताक्षरित

1. .....

2. .....

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से.....
(गवाह का नाम व पदनाम) की उपस्थिति में .....
(संविधान के अनुच्छेद 299(1) के अनुसरण में राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से बंधपत्र स्वीकार करने के लिए निदेशित या अधिकृत अधिकारी का नाम व पदनाम) द्वारा स्वीकृत।

टिप्पण 1.(क) दावकर्ता, जिसे 'बाध्यताधारी' कहा गया है, का पूरा नाम और पता
(ख) 'लापता सरकारी कर्मचारी' से बाध्यताधारी का संबंध
(ग) लापता सरकारी कर्मचारी का नाम
(घ) पिता/पति के पूरा नाम और निवास स्थान के पते सहित प्रतिभुओं का पूरा नाम

टिप्पणी 2. इस बंधपत्र के वैध या बाध्यकारी होने के लिए आवश्यक है कि बाध्यताधारी और प्रतिभू वयस्क हो चुके हों।

टिप्पण 3. साधारण ब्याज की दर सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित लोक भविष्य निधि की दर होगी।

PROFORMA -B

INDEMNITY BOND
[In the case of missing employee]
[See rule 33]

KNOW ALL MEN by these presents that we (a)…………………………(b)…………………………………………, the wife/son /brother/nominee, etc., of (c) …………………………………………………who was holding the post of …………………………………………………..in the Ministry/Department /Office of …..…………………………… is reported to have been missing since …………………………(hereinafter referred to as 'missing Government servant') resident of ……………………………………………………….. (hereinafter called "the Obligor") and (d) ……………………..…………………...………………son/wife/daughter of Shri …………………………………………… resident of ………………………………………and ……………………..………………… son/wife/daughter of ……………………………………… resident of …………………………………………….. the sureties for and on behalf of the Obligor (hereinafter called "the Sureties") are held firmly bound to the President of India (hereinafter called "the Government") in the sum of Rs………. (Rupees …………………………………………) equivalent of the amount on account of payment of salary, leave encashment, Retirement/Death Gratuity and each and every sum being the monthly family pension well and truly to be paid to the Government, on demand and without a demur together with simple interest @…….. % p.a. from the date of payment thereof until repayment for which payment we bind ourselves and our respective heirs, executors, administrators, legal representatives, successors and assigns by these presents.

Signed this ………………day of …………….two thousand and ……………

WHEREAS (c) ………………………………………………… was at the time of his disappearance in the employment of the Government receiving a pay at the rate of Rs. ……………… (Rupees……… ……………………………………………..) only per month from the Government.

AND WHEREAS the said (c) ……………………………………………… disappeared on the ……………..day of ……………………20 ….and there was due to him at the time of his disappearance the sum equivalent of (i) salary due (ii) leave encashment, (iii) Retirement/Death Gratuity.

AND WHEREAS the Obligor is entitled to family pension at Rs. ………… (Rupees…………… ………………only) plus admissible dearness relief thereon.

AND WHEREAS the obligator has represented that he/she is entitled to the aforesaid sum and approached the Government for making payment thereof to avoid undue delay and hardship.

AND WHEREAS the Government has agreed to make payment of the said sum of Rs……………..(Rupees………………………………..) and monthly family pension @ Rs……………………(Rupees…………………………) only and relief thereon to the obligator upon the obligor and the Sureties entering into a Bond in the above mentioned sum to indemnify the Government against all claims to the amount so due to the aforesaid missing Government servant.

AND WHEREAS the Obligor and at his/her request the Surety / Sureties have agreed to execute the Bond in terms and manner herein contained.

NOW THE CONDITION OF THIS BOND is such that, if after payment has been made to the Obligor, the Obligor and /or the Surety/ Sureties shall in the event of a claim being made , by any other person or the missing employee on appearance, against the Government with respect to the aforesaid sum of Rs…………………(Rupees…………………….)and the sum paid by the Government as monthly pension and relief as aforesaid then refund to the Government the said sum of Rs……………..(Rupees……………………………………) and each and every sum paid by Government as monthly pension and relief together with simple interest @………% per annum and shall, otherwise, indemnify keep the Government harmless and indemnified against and from all liabilities in respect of the aforesaid sums and all costs incurred in consequence of the claim thereto, THEN the above-written Bond or obligation shall be void and of no effect but otherwise it shall remain in full force, effect and virtue.

AND THESE PRESENTS ALSO WITNESS that the liability of the Surety/Sureties hereunder shall not be impaired or discharged by reason of time being granted by or any forbearance act or omission of the Government whether with or without the knowledge or consent of the Surety/Sureties in respect of or in relation to the obligations or conditions to be performed or discharged by the Obligor or by any other method or thing whatsoever which under the law relating to sureties would but for this provision shall have no effect of so releasing the Surety/Sureties from such liability nor shall it be necessary for the Government to sue the Obligor before suing the Surety/Sureties or either of them for the amount due hereunder, and the Government agrees to bear the stamp duty, if any, chargeable on these presents.

IN WITNESS WHEREOF the Obligor and the Surety/Sureties hereto have set and subscribed their respective hands hereunto on the day, month and year above-written.

Signed by the above named 'Obligor' in the presence of

1. ……………………………….

2. ………………………………

Signed by the above named 'Surety'/ 'Sureties'

1. ……………………………
2. ……………………………….

Accepted for and on behalf of the President of India by ……….......................................……………………..….
……………………………………………………………………………………………

[Name and designation of the Officer directed or authorised, in pursuance of Article 299(1) of the Constitution, to accept the Bond for and on behalf of the President] in the presence of ....
………
……………………..............................………………………………………………………..…………………………………
…………………………………..…….. (Name and designation of witness)

NOTE I. (a) Full name of the claimant referred to as the 'Obligor'. (b) State relationship of the 'Obligor' to the 'missing Government servant'. (c) Name of the 'missing Government servant'. (d) Full name or names of the Sureties with name or names of the father (s)/husband(s) and place of residence.

NOTE II. The Obligor as well as the sureties should have attained majority so that the bond may have legal effect or force.

NOTE III. The rate of simple interest will be as prescribed by the Government from time to time on Public Provident Fund rates.